न्यायालय:—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर-235103004632014</u> <u>व्यवहार वाद कं.-78ए/16</u> संस्थापित दिनांक-24.09.2014

1.नरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री भगवान दास याज्ञनिक जाति सेन आयु 45 वर्ष पेशी खेती व दुकानदारी निवासी दिल्ली दरवाजा के पास चंदेरी जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश।

.....वादी

विरुद्ध

1.आशाराम पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जाति सेन आयु 55 वर्ष पेशा दुकानदारी निवासी गुमटमोहल्ला वार्ड क्रमांक 2 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

2.म0प्र0 राज्य शासन द्वारा श्रीमान सचिव महोदय राजस्व विभाग बल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश

3.म0प्र0 राज्य शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0

4.शासन द्वारा श्रीमान पटवारी ग्राम कस्बा चंदेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

5.शासन वन विभाग द्वारा रेंजर वीरेंद्र सिंह धाकड रेंज चंदेरी।

.....प्रतिवादीगण

वादी द्वारा श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी द्वारा श्री सुमन अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 3 से 5 द्वारा श्री चौबे अधिवक्ता।

-// निर्णय//-(आज दिनांक 04.05.2017 को घोषित)

- 01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध कस्बा चंदेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 10 रकवा 77.633 हेक्टेयर भूमि में से संलग्न नक्शे अनुसार अ, ब, स, द भाग (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं तहसीलदार चंदेरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.15 को शून्य घोषित किए जाने बाबत प्रस्तुत किया है।
- 02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि शासकीय है जिसमें से 0.209 हेक्टेयर भूमि उसके स्वत्व की भूमि है। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पटटे की भूमि है जिस पर उसका पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। वादी के अनुसार उसके ताउ जगन्नाथ प्रसाद उक्त विवादित भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज रहे और उसे कृषि योग्य बनाया। उक्त साक्षी के अनुसार उसके ताउ उससे विशेष प्रेम करते थे और वह बचपन से ही उनके पास निवास करता था जिससे प्रसन्न होकर उनके द्वारा विवादित भूमि का वसीयतनामा दिनांक 15.06.02 को वादी के हित में निष्पादित किया। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि का पटटा दिनांक 10.08.84 को दिया गया था और जब तक जगन्नाथ प्रसाद जीवित रहे, वे तब तक भूमि पर काबिज रहे तथा वसीयतनामे के आधार पर वादी उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है तथा उस पर अपने नाम का नामांतरण करने का अधिकारी है। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण उसे उक्त विवादित भूमि से बेदखल करना चाहते हैं और उसके स्वत्व को नहीं मान रहे तथा लगातार उसे

उक्त विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं, जिस कारणवश उसे अपनी जीविका चलाना असंभव हो गया है। वादी के अनुसार वह उक्त विवादित भूमि पर तीस वर्षों से अधिक समय से काबिज है और उस पर स्वत्व प्राप्त कर चुका है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने उसका वाद स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि का उसे स्वत्वाधिकारी घोषित किए जाने, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने एवं न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.15 को शून्य घोषित किए जाने बाबत् डिकी पारित करने का निवेदन किया है।

- 04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादी आशाराम के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि का पटटा जगन्नाथ प्रसाद को मिला था। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी को उक्त विवादित भूमि में कोई हित प्राप्त नहीं होते। प्रतिवादी शासन के अनुसार उक्त विवादित भूमि शासकीय चरणोई के नाम से दर्ज है तथा उस पर कोई पटटा जारी नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी ने उक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है जिस पर अर्थदंड के माध्यम से वादी को बेदखल किया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।
- 05. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :—

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या कस्बा चंदेरी जिला अशोकनगर में स्थित भूमि	"हां"
	सर्वे क्रमांक 10 रकवा 77.633 हेक्टेयर भूमि के वाद	
	संलग्न मानचित्र में अ, ब, स, द भाग के रूप में	
	दर्शाये गए भाग का वादी के ताउ जगन्नाथ प्रसाद	
	पुत्र दमरू को शासन से पटटा प्राप्त हुआ था ?	
02.	क्या जगन्नाथ प्रसाद का वाद पत्र के साथ संलग्न	''नहीं''
	नक्शे में अ, ब, स, द तथा क, ख, ग, घ भूमि भाग	
	पर शासन की जानकारी में 50 वर्ष तक निरंतर	
	कब्जा रहने से विरोधी आधिपत्य के आधार पर भूमि	
	स्वामी स्वत्व उत्पन्न हो गया था ?	
03.	क्या वादी जगन्नाथ प्रसाद द्वारा उसके पक्ष में किये	''नहीं''
	गये वसीयतनामा दिनांक 15.06.2002 के आधार पर	
	अ, ब, स, द भूमि भाग का स्वामी होकर उसका	
	राजस्व अभिलेख में अपने नाम नामांतरण कराने का	
	अधिकारी है ?	
04.	क्या वादी क, ख, ग, घ भूमि भाग पर विधिक	"नहीं"
	आधिपत्यधारी है ?	
05.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के	''नहीं''
	स्वत्व व आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया	
	जा रहा है ?	
06.	सहायता एवं व्यय ?	''निर्णयानुसार
		वादी का वाद
		अस्वीकार कर
		सव्यय निरस्त
		किया गया।"

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 06. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 नरेश कुमार, वा.सा. 02 पुरुषोत्तम, वा.सा. 03 घनश्याम, वा.सा. 04 रामगोपाल की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्रपी 01 लगायत प्रपी 36 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 आशाराम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रडी 01 का दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है।
- 07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न कमांक 01 लगायत 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न कमांक 06 का निराकरण पृथक—पृथक से किया जा रहा है।

-:: <u>वादप्रश्न कं. 01 लगायत 05 ::-</u>

08. वा.सा. 01 नरेश कुमार ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उसके कब्जे की भूमि है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि का पटटा जगन्नाथ प्रसाद को शासन से प्राप्त हुआ था जिस पर वे 50 वर्ष तक काबिज रहे। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि का वसीयतनामा दिनांक 15.06.2002 को जगन्नाथ प्रसाद द्वारा उसके पक्ष में संपादित करा दिया गया था और वह उन्हीं के समय से उस पर काबिज चला आ रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण उसे उक्त विवादित भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि विवादित भूमि का पटटा प्रतिवादी कमांक 01 आशाराम के पास है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने विवादित भूमि का वसीयतनामा प्रकरण में पेश नहीं किया, क्योंकि

वसीयतनामा प्रतिवादी क्रमांक 01 के पास है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सर्वे नंबर 10 शासकीय चरणोई के नाम से दर्ज है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण चला है।

- 09. वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि पर नरेश कुमार का कब्जा है। वा.सा. 02 के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि उक्त विवादित भूमि शासकीय चरणोई की भूमि है। वा.सा. 02 के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि नरेश कुमार को किसने कब्जा दिया था। वा. सा. 03 के अनुसार विवादित भूमि पर अतिक्रमण का मामला वादी पर चला है। वा. सा. 04 रामगोपाल ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि वह चंदेरी में पटवारी के पद पर पदस्थ है। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे क्रमांक 10 राजस्व विभाग एवं वन विभाग की है तथा प्रपी 24 के खसरे में राजस्व की भूमि लिखा हुआ है। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे क्रमांक 10 राजस्व विभाग एवं वन विभाग की है तथा प्रपी 24 के खसरे में राजस्व की भूमि लिखा हुआ है। उक्त साक्षी के अनुसार सर्वे क्रमांक 10 में आशाराम, महेश कुमार या जगन्नाथ का कोई उल्लेख नहीं है।
- 10. प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 01 आशाराम ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उसके पिता को पटटे पर प्राप्त हुई थी जिस पर वे 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज चले आ रहे हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पिता द्वारा विवादित भूमि का वसीयतनामा संपादित किया गया था, किंतु उससे वादी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते।
- 11. प्रतिवादी की ओर से प्रडी 01 का पटटा प्रस्तुत किया गया है। उक्त पटटे में शासन द्वारा सर्वे कमांक 10 के 50 वर्ग मीटर की भूमि जगन्नाथ को 30 वर्ष के पटटे पर प्रदान की गई है, किंतु उक्त पटटे पर वर्ष का काई उल्लेख नहीं है। उक्त पटटे में स्पष्ट लिखा है कि पटटेदार उक्त भूमि का अंतरण नहीं करेगा और यदि उसके द्वारा अंतरण किया जाता है तो उसका पटटा रद्द हो जाएगा।

उक्त पटटे में यह भी शर्त है कि पटटे को तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा। वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रमाणित हो सके कि जगन्नाथ द्वारा उक्त विवादित भूमि के पटटे का नवीनीकरण होना दर्शित होता हो। वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वा. सा. 04 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि पर शासन का नाम दर्ज है। प्रपी 24 के खसरे के अवलोन से भी यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि पर शासन का नाम दर्ज है। वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 द्वारा मात्र मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि उक्त विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है, किंतु दोनों साक्षीगण ने स्वत्व के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। वा.सा. 01 ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि शासन की चरणोई की भूमि है। उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि रासन की चरणोई की भूमि है। उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि शासन की चरणोई की भूमि है। उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि पर अतिकमण के संबंध में उस पर प्रकरण चला था। उक्त तथ्य प्रपी 24 के खसरे से भी प्रमाणित हो रहा है जिसमें कॉलम नंबर 12 में वादी का नाम अतिकमक के रूप में दर्ज है।

12. प्रपी 01 लगायत प्रपी 06 के दस्तावेज जो कि वेजा कब्जा करने का रिजस्टर है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि पर वादी का शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा है। प्रपी 17 लगायत प्रपी 22 के नोटिस से भी स्पष्ट है कि वादी द्वारा शासन की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। प्रपी 23 भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया सूचना पत्र है जिसमें वादी को उक्त विवादित भूमि का अवैध कब्जा खाली करने बाबत आदेशित किया गया है। उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त वादी ने उक्त विवादित भूमि पर स्वत्व संबंधी अन्य कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि उक्त विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व प्रमाणित होता हो। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर उसे वसीयतनामे के आधार पर स्वत्व प्राप्त हुए हैं, किंतु वादी ने कोई वसीयतनामा

अभिलेख पर न तो प्रस्तुत किया है और न ही प्रमाणित किया है। वादी के अनुसार उसे उक्त विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो गए हैं। विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि वादी यह प्रमाणित करे कि किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व की संपत्ति पर उस दूसरे व्यक्ति की जानकारी में उसके स्वत्वों को नकारते हुए अबाध शांतिपूर्ण लगातार आधिपत्य उसका रहा तथा शासकीय भूमि की दशा में तीस वर्षों का आधिपत्य रहा हो। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि वादी का उक्त विवादित भूमि पर लगातार शांतिपूर्ण तीस वर्षों से अधिक समय से आधिपत्य प्रमाणित होता हो। वादी ने स्वयं जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं, उससे यह प्रमाणित हो रहा है कि वादी को उक्त विवादित भूमि का कब्जा छोडने बाबत लगातार नोटिस प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार वादी का उक्त विवादित भूमि पर लगातार शांतिपूर्ण तीस वर्षों से अधिक समय का कब्जा प्रमाणित नहीं होता। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि वादी उक्त विवादित भूमि का विधिक आधिपत्यधारी है और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा।

13. उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त विवादित भूमि का पटटा शासन द्वारा जगन्नाथ को प्राप्त हुआ था, किंतु वादी यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि उसे उक्त विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य या वसीयतनामे के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार वादी उक्त विवादित भूमि का अपने नाम नामांतरण कराने का अधिकारी नहीं है। वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह उक्त विवादित भूमि का विधिक उत्तराधिकारी है और यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01

सकारात्मक निर्णीत किया जाता है तथा वाद प्रश्न क्रमांक 02 लगायत 05 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-06</u> ::-

- 14. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।
- 15. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर (ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर